Order Sheet [Contd]

11-156
C.J.

Case No. .....Of 20.....

Date of Order or Proceeding	Order or Proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	न्यायालय– कमलेश साहू, तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, मुरैना म.प्र. जमानत आवेदन कमांक :– 551/2025 सी एन आर नं. :– MP06010046692025 FilingNO-3881/2025 Filing date-21-07-2025 मुकेश उर्फ मुक्के पुत्र केशव लोधी, आयु–26 वर्ष, निवासी–ग्राम रावतपुरा, थाना गोरमी, जिला भिण्ड म.प्र.। ——आवेदक/अभियुक्त बनाम म प्र शासन द्वारा पुलिस थाना दिमनी मुरैना ——अनावेदक	
31.07.2025	**पंचम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय अवकाश पर होने से कार्यविभाजन पत्रक अनुसार प्रकरण मेरे समक्ष प्रस्तुत।** आवेदक/अभियुक्त मुकेश उर्फ मुक्के की ओर से श्री यू.के. रिछारिया अधिवक्ता उपस्थित। अनावेदक राज्य की ओर से श्री राजकुमार शर्मा, अपर लोक अभियोजक उपस्थित। प्रकरण जमानत आवेदन पर तर्क/विचार हेतु नियत है। अपराध कमांक 237/24 से उद्भूत सत्र प्रकरण कमांक 113/25 न्यायालय पचम अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में लंबित होने से प्रस्तुत। माननीय उच्च न्यायालय म. प्र. द्वारा दीपक यादव विरूद्ध स्टेट ऑफ मध्यप्रदेश, विविध दाण्डिक प्रकरण कमांक 8227/2023 में पारित आदेश दिनांक 01.04.2023 की कंण्डिका 9 में आदेशानुसार प्रकरण से संबंधित विवरण निम्नानुसार है।	

प्रथम सूचना रिपोर्ट कमांक	237/2024
प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक	16.12.2024

Date of Order or Proceeding	Order or Proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders if necessary

धारा	धारा 103(1), 140(2), 3(5), 238 बी.एन.एस
पुलिस थाना	दिमनी
आवेदक/आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड	–
आरोपी की गिरफ़्तारी दिनांक	दिनांक–20.12.2024
विवेचना जारी है अथवा नहीं	विवेचना पूर्ण
अभियोग पत्र प्रस्तुति दिनांक	18.03.2025

आवेदक/अभियुक्त मुकेश उर्फ मुक्के की ओर से सौरभ यादव पुत्र रामनिवास ने इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है कि वह आवेदक का दोस्त है, आवेदक का धारा 483 भा.ना. सु.सं. का यह प्रथम जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। अन्य कोई आवेदन किसी सत्र न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय मे लंबित नही है और न ही निराकृत हुआ है। इस तथ्य को अपर लोक अभियोजक द्वारा कोई चुनौती नहीं दी गई है।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा–483 भा.ना.सु.सं. संक्षेप मे इस प्रकार है कि आवेदक के विरूद्ध पुलिस थाना दिमनी जिला मुरैना द्वारा फरियादी से मिलकर असत्य अपराध कमांक 237/24 धारा 103(1), 140(2), 3(5), 238 बी.एन.एस का पंजीबद्ध करा दिया है, जिसमें उसे 20.12.2024 को गिरफ़्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहां से उसे जेल मुरैना भेज दिया। आवेदक उक्त दिनांक से जेल मुरैना में बंदी है, उसने कोई अपराध नहीं किया है, न ही किसी अपराध से कोई संबंध है, उसे असत्य लिप्त किया गया है, वह पूर्णतः निर्दोष है। पुलिस थाना दिमनी द्वारा अभियोग पत्र न्यायालय मे प्रस्तुत कर दिया है प्रकरण में अभियोजन साक्षी फरियादी व दो अन्य साक्षीगण की साक्ष्य हो चुकी है। प्रकरण के निराकरण में समय लगेगा, आवेदक नवयुवक है, परिवार में एक मात्र कमाने वाला व्यक्ति है, आवेदक के निरोध में रहने से उसके परिवार का भरण–पोषण नहीं हो पा रहा है। आवेदक आदेशानुसार प्रतिभूति प्रस्तुत करने हेतु तैयार है कि वह फरार नही होगा। साक्ष्य प्रभावित नहीं करेगा न्यायालय के आदेश का पालन करेगा। अतः जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया है।

अपर लोक अभियोजक श्री राजकुमार शर्मा के द्वारा जमानत आवेदन पत्र पर मौखिक आपत्ति की, कि आवेदक के विरूद्ध दर्ज पंजीबद्ध अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः जमानत

Order Sheet [Contd]

11-156
C.J.

Case No. .....Of 20.....

Date of Order or Proceeding	Order or Proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	आवेदन पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है। आवेदन पत्र के निराकरण के संबंध में उभय पक्ष के तर्क श्रवण किये गये। इस न्यायालय में लंबित सत्र प्रकरण कमांक 113/25 का अवलोकन किया गया। अभियोजन मामला अनुसार मर्ग कमांक 36/24 जो मृतक अभिषेक लोधी निवासी–पोरसा के संबध मे है कि जांच के दौरान एफ.एस.एल अधिकारी ने शव का निरीक्षक कर बताया कि बांयी भौह पर चोट का निशान, होठ पर चोट पाई गई, मृतक के बांये हाथ के बाजू पर टीथ बाइट के निशान पाये गये, दोनों पैर लाल रंग की स्टोल से तथा दोनों आंखों पर लाल रंग की स्टोल बधी होना पाई गई। मृतक को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या कर शव को नहर मे फेंका गया था, शव परीक्षण के दौरान मृतक की मृत्यु का कारण Cardio respiretory arest as a result of may be asphysia लेख किया है, मर्ग जांच के दौरान मृतक के पिता, माता, मौसा के कथन लेख किये गये, जिन्होंने यह बताया कि मृतक अभिषेक ग्वालियर मे पढाई करता था, दिनांक 11.12.2024 को मुरैना आने की कहकर निकला था, उसके बाद उससे संपर्क नहीं हुआ था। दिनाक 14.12.2024 को प्रातः करीब 10:30 बजे मृतक अभिषेक के मोबाईल से मृतक के पिता पदमसिंह के मोबाईल पर व्हाट्सएप पर 20 लाख रूपये की मांग की जाना बताया एवं थाना गोले के मदिर मे गुम इंसान कमांक 88/24 दिनांक 14.12.2024 को लेख कराना बताया एवं अपने कथन में किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा अभिषेक की हत्या कर शव को नहर में फेंकने का शक होना बताया है। उक्त घटना के आधार पर मृतक अभिषेक की हत्या प्रथम दृष्टया होना प्रतीत होने से अपराध पंजीबद्ध किया गया है। उक्त घटना के संबंध में अपराध कमांक 237/24 अंतर्गत धारा 103(1), 140(2), 3(5), 238 बी.एन.एस का अपराध पंजीबद्ध किया गया है, आवेदक दिनांक 21.12.2024 से न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है। प्रकरण में विवेचना पूर्ण कर अभिलेख पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। अभियोजन मामला अनुसार मृतक अभिषेक के साथ	

Date of Order or Proceeding	Order or Proceeding with Signature of Presiding Officer
	निर्दयता पूर्वक मारपीट कर उसकी हत्या कारित कर नदी में फेंकने के संबंध में अपराध का अभियोग है। आवेदक के द्वारा अवैध फिरौती की रकम 20 लाख रूपये की मांग की गई है और उक्त अवैध राशि वसूल करने के लिए फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर मृतक अभिषेक को फसाया था तथा उसे घर बुलाकर अन्य सहअभियुक्तगण जो आवेदक की पत्नी व मित्र है, के साथ मिलकर चाय में नींद की पांच गोली मिलाकर उसे सुला दिया और उसके जागने पर विवाद होने पर उसके साथ मारपीट कर उसके शव को किराये की गाड़ी से ले जाकर नहर में फेंक दिया। आवेदक ने उक्त कृत्य मृतक के साथ अत्यंत निर्दयता पूर्वक अन्य सहआरोपीगण के साथ करते हुये मृतक की हत्या कारित की है।
	अभियोजन मामला अनुसार आवेदक का कृत्य गंभीर प्रकृति का है, आवेदक के द्वारा अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर जिस प्रकृति का अपराध कारित किया गया है उक्त परिस्थिति के आलोक मे यदि आवेदक को जमानत का लाभ प्रदान किया जाता है तो साक्ष्य प्रभावित होने की संभावना से इंकार नही किया जा सकता है।
	अतः अपराध की गंभीर प्रकृति, प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियो को दृष्टिगत रखते हुये आवेदक को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नही होता है। अतः आवेदक/अभियुक्त मुकेश उर्फ मुक्के की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा-483 बी.एन.एस.एस **निरस्त** किया जाता है।
	इस आदेश की एक सत्यप्रति सत्र प्रकरण क्रमाक 113/25 मे संलग्न की जाये।
	प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेख अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।
	31.07.25 वास्ते- पंचम अपर सत्र न्यायाधीश, मुरैना जिला मुरैना (म0प्र0)